मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

ः आदेशः

दिनांक .07.2016

क्रमांक / 2347 / 21—अ(स्था.) / गोप. / 2016, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम—3 के विपरीत आचरण किये जाने तथा विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन द्वारा भ्रष्टाचार/आपराधिक प्रकरण में चालान प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप विभाग के निलंबित लोक सेवक को निलंबन से बहाल किये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी 6—2—2015—3—एक दिनांक 30.09. 2015 के परिप्रेक्ष्य में एक वर्ष से अधिक अविध से निलंबित शासकीय सेवक के मामलें की समीक्षा हेतु गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 21 जुलाई, 2016 को संपन्न हुई, जिसमें श्री मयंक श्रोती, विधिक सहायक को निलंबन से बहाल किये जाने की अनुशंसा की गई है।

- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी 6-2-2015-3-एक दिनांक 30.09.2015 के अनुक्रम में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मयंक श्रोती, विधिक सहायक की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबन से बहाल करता है।
- उपरोक्त निलंबन अवधि का निराकरण माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के पश्चात किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

Ex (1) /-(विरेन्दर सिंह) प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

प्रतिलिपि:-

- 1. महालेखाकार, म.प्र., भोपाल
- 2. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल,
- 3. अनुभाग अधिकारी, स्थापना शाखा/आहरण एवं संवितरण अधिकारी,
- 4. श्री मयंक श्रोती, विधिक सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
- 5. संबंधित लिपिक, पे–बिल एवं आई.टी. प्रकोष्ठ की ओर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतू,

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल